

बरेली ज़ोन के अन्तर्गत

बरेली/पीलीभीत/शाहजहाँपुर/मुरादाबाद

की सम्पत्तियों के

आवंटन/नीलामी

आवंटन/
नीलामी तिथि
27-11-2018

समय
प्रातः 11:00
बजे

स्थल :

सामुदायिक केन्द्र
बौद्ध विहार योजना,
मुरादाबाद



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

(सेवोत्तम प्रमाणित)

Website: <http://www.upavp.in>; E-mail : upavp@Sancharnet.in



मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाले 171 व.मी. से बड़े आवासीय आवासीय भूखण्डों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) दर (प्र.व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकनमनी (रु. लाख में)
अन्य पिछड़ा वर्ग- 12/389 (कार्नर)	01	208.00	24024	2.50

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाले 171 व.मी. से बड़े आवासीय आवासीय भूखण्डों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) दर (प्र.व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकनमनी (रु. लाख में)
अनारक्षित ए/478 (कार्नर)	01	296.79	27104	4.03
अनारक्षित ए/479	01	277.93	24640	3.43
अनारक्षित ए/480	01	241.00	24640	2.97
अनारक्षित ए/481	01	250.50	24640	3.09
अनारक्षित ए/482	01	259.00	24640	3.19
अनारक्षित ए/483	01	266.50	24640	3.29
अनारक्षित ए/484	01	277.00	24640	3.42
अनारक्षित ए/485	01	290.00	24640	3.58

लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली दुकानों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) दर (प्र.व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकनमनी (रु. लाख में)
एस-71	01	17.49	11.61	1.16
एस-72, 73	02	16.89	11.27	1.13
एस-81,82,83,84	04	16.52	11.06	1.11
एस.एफ-71	01	16.07	9.52	0.95
एस.एफ.-60	01	13.38	8.01	0.80
एस.एफ.-62,एस.एफ.-96	02	7.73	4.85	0.49

राजेन्द्र नगर योजना संख्या-02, बरेली

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) दर (प्र.व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकनमनी (रु. लाख में)
हाल्स द्वितीय तल- एस.एफ.एच.-3	01	77.55	43.30	4.33
हाल्स द्वितीय तल- एस.एफ.एच.-4	01	77.55	43.30	4.33
दुकान (ई ब्लॉक) 12	01	39.954	25.74	2.60

टैगोर नगर योजना, पीलीभीत

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) दर (प्र.व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकनमनी (रु. लाख में)
क्योस्क भूखण्ड के-02 (अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित)	01	4.00	0.86	0.09

बरेली मोड़ योजना संख्या-03 शाहजहांपुर

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) दर (प्र.व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकनमनी (रु. लाख में)
1/कॉम-9	01	341.56	20160	6.89
1/कॉम-10	01	338.22	20160	6.82
1/कॉम-11	01	334.80	20160	6.75
1/कॉम-12	01	331.39	20160	6.68

नोट :- नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली लगाने का अधिकार तभी मान्य होगा , जब अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटार्नी नोटेरी द्वारा सत्यापित हो।

सामान्य नियम एवं शर्तें

1. आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो।
2. आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ-पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड नीलामी की तिथि से एक कार्य दिस पूर्व तक सम्बन्धित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है तथा खुली बोली हेतु नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चैक/नकद स्वीकार नहीं होगा।
3. जिन सम्पत्तियों को ऑफर हुए दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम तीन बार शामिल न किया गया हो, ऐसे मामलों में एकल बोली या आफर (बिड) सक्षम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/परिषद की वेबसाइट से की जा सकती है।
4. सम्पत्तियों के पुर्नजीवन/निरस्तीकरण/कोर्ट केस के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट-बढ़ हो सकती है। सम्पत्ति का आवंटन/नीलामी 'सम्पत्ति जहाँ है, जैसी है' के आधार पर किया जायेगा।
5. सशर्त (कन्डीशनल) एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा न लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किये जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का, कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है।
7. शासनादेश के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी, उसका भूगतान तदनुसार अलग से करना होगा।

आवास आयुक्त